LATEST NEWS

Election

Date : 19th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पंजाब केसरी
FRI,19 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

एसआईआर को लेकर आने लगे दावे और आपत्तियां

■ दो दिन में 46 दावे, 2 आपत्तियां, 28307 युवाओं ने मतदाता के लिए किया पंजीकरण

जयपुर, 18 दिसंबर (विसं): एसआई आर प्रोग्राम के तहत पुनरीक्षण कार्य के पहले चरण के बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावे-आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। दो दिन में आयोग के पास 46 दावे व 2 आपत्तियां पहुंची हैं। वहीं 28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरांत बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी है। सभी दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस एसआईआर में हिस्सा ले रहे हैं। 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं। नव मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

वोटर्स बनने का मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले है, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

दैनिक भास्कर

जयपुर 19-12-2025

SIR से वोटर की भाग व क्रम संख्या बदली, ऐसे करें पता

24 घंटे में 46 दावे, 2 आपत्तियां, 28307 युवाओं ने किया आवेदन

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर 2026) के पहले चरण (गणना चरण) के समापन के बाद सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर 17 दिसंबर (3 PM) से 18 दिसंबर (3 PM) तक मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। इसके अलावा 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं। गौरतलब है कि सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी एसआईआर में हिस्सा ले रहे हैं। उधर सीईओ नवीन महाजन ने नए और भावी मतदाताओं से रजिस्ट्रेशन की अपील भी जारी की है।

गणना प्रपत्र में अलग-अलग सूचना

प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 52469 थी जो अब पुनर्गठन के बाद 61404 हो गई है। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची में सभी मतदाताओं की भाग संख्या और क्रम संख्या बदल गई हैं और ये गणना प्रपत्र में उल्लेखित भाग और क्रम संख्याओं से मेल नहीं खाती हैं। नवीनतम भाग संख्या और क्रम संख्या जानने के लिए मतदाता अब अपने एपिक नंबर का उपयोग करते हुए ECINET एप या Voter Service Portal पर अपने विवरण देख सकते हैं।

वोटर बनने के लिए अग्रिम आवेदन मान्य

1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, ऐसे नए वोटर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

मोबाइल से लॉगिन कर आवेदन करें

आवेदक ECINET App डाउनलोड कर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात Voter Services सेक्शन में जाकर Voter Registration विकल्प के अंतर्गत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र (Annexure-IV) भर सकते हैं। इसके अलावा, Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर मोबाइल नंबर से साइनअप कर New Voter Registration टैब के माध्यम से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरा जा सकता है। आवेदक अपने क्षेत्र के बीएलओ से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म https://election.rajasthan.gov.in/से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

एसआइआर : बड़े जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे, सीमावर्ती जिलों में कम

शुद्धीकरण या साइलेंट स्ट्राइक

5 जिलों के 10% वोटर बाहर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. एसआइआर में मतदाताओं के नाम पर सबसे अधिक कैंची जोधपुर और जयपुर सहित पांच जिलों में चली, जहां अलग-अलग कारणों से 10 फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके विपरीत बाड़मेर-जैसलमेर सहित चार जिले ऐसे हैं, जहां पांच फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

जिन जिलों में सबसे अधिक नाम कटे हैं, उनमें जोधपुर-जयपुर जैसे बड़े जिले हैं। उधर, जिलों में नाम कटने का अनुपात कम रहा, उनमें दूरदराज के बाड़मेर-जैसलमेर जिले हैं तो जयपुर और अलवर जिलों से अलग होकर बना कोटपूतली-बहरोड़ जिला भी शामिल है। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाताओं के जिंदा नहीं होने, स्थायी रूप से अन्यत्र पलायन कर जाने या एसआइआर के दौरान तीन बार बूथ लेवल अधिकारी को घर पर नहीं मिलने या मतदाता का दो जगह नाम होने जैसे कारणों से मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसे निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण का नाम दिया है।

सवाल ?

1. अन्यत्र बस जाने का प्रमाण क्या है?

2. कैसे माना गया कि बीएलओ तीन बार घर गया?

अब भी विकल्प है

जिन मतदाताओं का नाम गलती से नाम कट गया है वे अपने दावे-आपत्तियां पेश कर सकते हैं।

ऐसे बनें सजग मतदाता

मतदाता अपने क्षेत्र की सूचियां चेक कर अपना नाम सुनिश्चित कर लें।

10 जिलों में 7 से 8% नाम कटे

सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, बारां, झालावाड़, सलूम्बर व अलवर जिले ऐसे हैं, जहां सात से आठ फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

9 जिलों में 6 से 7% नाम कटे

बीकानेर, भरतपुर, खैरथल- तिजारा, नागौर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर व डीडवाना-कुचामन जिले ऐसे हैं, जहां 6 से 7 फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम कट गए हैं।

7 जिलों में 5 से 6% नाम कटे

जालोर, बालोतरा, चूरू, धौलपुर, फलोदी, डीग, हनुमानगढ़

सर्वाधिक नाम यहां कटे

जिला	नाम कटे	प्रतिशत
जोधपुर	257831	11.20
जयपुर	5,36,276	11.12
कोटा	159788	10.43
अजमेर	152684	10.13
सिरोही	85596	10.03
उदयपुर	195748	9.97
भीलवाड़ा	168197	8.76
पाली	125549	8.30
बांसवाड़ा	117259	8.15
डूंगरपुर	89771	8.14
ब्यावर	71343	8.14

यहां सबसे कम कटे

कोट.-बहरोड़	48532	4.98
करौली	54808	4.80
जैसलमेर	23420	4.75
बाड़मेर	47669	3.96

दावे-आपत्ति पेश करने में कांग्रेस से आगे भाजपा

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के आधार पर जारी प्रारूप मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने व कटवाने के लिए दावे एवं आपत्तियां पेश करने में अभी भाजपा, कांग्रेस से आगे है। नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से 46 दावे पेश किए गए हैं, जिनमें से 35 भाजपा, 9 कांग्रेस और दो भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पेश किए हैं। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक नाम पर आपत्ति जताते हुए दो नामों को हटवाने का आग्रह किया है। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए 2 लाख 19 हजार 674 युवाओं के आवेदन पहले से ही विचाराधीन हैं।

विधायक का आरोप

दौसा @ पत्रिका. एसआइआर प्रक्रिया पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उपचुनाव में केवल दौसा सीट पर बीजेपी हारी थी, ऐसे में सर्वाधिक 20 हजार से अधिक वोट दौसा विधानसभा क्षेत्र से कम किए हैं।

FIRST INDIA

19 December 2025

2 objections, 46 claims as SIR draft voter list released

First India Bureau

Jaipur

28307 youth have applied to get their names added to the voter list by filling Form-6 and declaration forms

After the successful completion of the first phase (counting phase) of Special Intensive Revision (SIR) 2026 in Rajasthan by the Election Commission of India, the draft voter list was published on December 16. Chief Electoral Officer Naveen Mahajan informed that this list is available on the website of CEO Rajasthan https://election.rajasthan.gov.in/ and the DEO concerned.

Mahajan stated that the list of voters whose names are not in the draft list has been provided to all political parties for ease of verification. More than one lakh booth-level agents nominated by all political parties are also participating in SIR. Mahajan said that all the political parties together have filed 46 claims and two objections for adding names of eligible voters and deleting names of ineligible voters from Dec 17 (3 pm) to Dec 18 (3 pm).

Mahajan has appealed to all eligible voters to register their names in the electoral roll. Young citizens who will attain the age of 18 years on April 1, July 1 or October 1 can also apply in advance through Form-6.

नव मतदाताओं के पंजीकरण को लेकर क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

रायसिंहनगर| विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम सुभाषचंद्र चौधरी ने बताया कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। एसआईआर 2026 के तहत 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी ऐसे नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 22 व 23 दिसंबर को स्कूल एवं महाविद्यालय में क्लस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मतदाताओं को जोड़ने को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

अब तक 46 दावे व 2 आपत्तियां, हैल्पलाइन 1950 पर सम्पर्क

28307 युवाओं ने मतदाता बनने के लिये पंजीकरण आवेदन किया

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है।

सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए ह्य46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा सभी योग्य नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण कर अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें।

28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया

जयपुर/ श्रीगंगानगर, 18 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। श्री महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 46 दावे एवं 2 आपत्तियां दर्ज

नवज्योति/बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिका नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान https://election.rajasthan.gov.in एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।

महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिए दे दी गई है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026

17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक 46 दावे एवं 2 आपत्तियां

28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील

पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों को देखना हुआ आसान

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।

श्री महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। श्री महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। तथा 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

नव मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन माध्यम

आवेदक इसीआइ-नेट एप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटर सर्विस सेक्शन में जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प के अंतर्गत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्रभर सकते हैं। इसके अलावा वोटर्स पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से साइनअप कर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन टैब के माध्यम से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरा जा सकता है।

ऑफ्लाइन माध्यम

आवेदक अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों में ऐसे खोजें अपना नाम

पुनर्गठन से पहले भागों की संख्या-52469

पुनर्गठन के बाद भागों की संख्या-61404

कुल नए भाग बनाए गए - 8935

मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद, एसआइआर-2026 की प्रारूप मतदाता सूची में सभी मतदाताओं की भाग संख्या और क्रम संख्या बदल गई हैं और ये गणना प्रपत्र में उल्लेखित भाग और क्रम संख्याओं से मेल नहीं खाती हैं। एसआइआर-2026 में नवीनतम भाग संख्या और क्रम संख्या जानने के लिए मतदाता अब अपने इपीक नंबर का उपयोग करते हुए इसीआइ-नेटऐप या वोटर्स सर्विस पोर्टल पर अपने विवरण देख सकते हैं।

एसआइआर को लेकर बीएलओ बैठक में चर्चा

तनावड़ा @ पत्रिका. ग्राम तनावडा में एसआइआर को लेकर बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। मतदान बूथ,ग्राम पंचायत मुख्यालय व सार्वजनिक जगह पर एएसडी की लिस्ट चस्पा की गई। बैठक में बीएलओ सोमाराम पंवार, रंजना वैष्णव, मोहन राम गूगरवाल, सुल्तान खान, ओमाराम पिंडेल, सुरेश पिंडेल, कानाराम मोटडा, मुकेश गोदारा, दिनेश व किशनलाल पंवार ग्रामीण जन उपस्थित थे।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियां बूथों पर चस्पा

डांगियावास @ पत्रिका. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन-पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूचियां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से जनप्रतिनिधियों, बीएलए और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संबंधित बूथों पर चस्पा की गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालेली चम्पावता में स्थित बूथ भाग संख्या 36 पर फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूचियों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर बीएलए बाबूलाल, हीरालाल इमरतलाल, मनीष ढाका, आंगनवाड़ी वर्कर सोहनी और कविता उपस्थित रहे।

बोरुन्दा में एसआइआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित

बोरुन्दा @ पत्रिका. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के तहत बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरुन्दा के भाग संख्या 187 से 197 तक 11 भागों की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। इस अभियान में मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित तथा एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बूथ लेवल अधिकारी एवं पर्यवेक्षक व्याख्याता भेरूलाल पटेल ने बताया कि बोरुन्दा उप तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामलाल भांबू के निर्देशन में एसआइआर से पहले कुल 11,942 मतदाता पंजीकृत थे। गणना चरण में 11,002 मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त हुए, जिन्हें प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया गया। वहीं 940 मतदाताओं के प्रपत्र विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं हो सके, जिनमें मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक प्रारूप मतदाता सूचियों पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। पात्र नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल या संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 15 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बोरुन्दा क्षेत्र के ताजा आंकड़े

एसआइआर से पहले मतदाता: 11,942

एसआइआर में कटे नाम: 940

अब सूची में नाम: 11,002

मौत के कारण हटे: 202

अनुपस्थिति के कारण हटे: 69

स्थानांतरित होने पर हटे: 600

डबल वोटर होने पर हटे: 69

अन्य कारणों से हटे: 0

एसआईआर प्रक्रिया

शुक्रवार तक 46 दावे और दो आपत्तियां

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के पहले गणना चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान वेबसाइट एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बाद बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिए दे दी है। सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर 17 दिसंबर (तीन बजे) से 18 दिसंबर(तीन बजे) तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण के लिए महाजन की अपीलः महाजन ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षणः दो दिन में 46 दावे एवं 2 आपत्तियां

नव मतदाता पंजीकरण के लिए युवाओं ने किया आवेदन

■ दैनिक जलतेदीप, जयपुर

■ नव मतदाता पंजीकरण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील

■ पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों को देखना हुआ आसान

■ अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन

उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।

महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए '46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। तथा 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

एसआईआर को लेकर आने लगे दावे और आपत्तियां

- दो दिन में 46 दावे, 2 आपत्तियां, 28307 युवाओं ने मतदाता के लिए किया पंजीकरण

जयपुर, 18 दिसंबर (विसं): एसआईआर प्रोग्राम के तहत पुनरीक्षण कार्य के पहले चरण के बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावे-आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। दो दिन में आयोग के पास 46 दावे व 2 आपत्तियां पहुंची हैं। वहीं 28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरांत बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी है। सभी दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस एसआईआर में हिस्सा ले रहे हैं। 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं। नव मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

वोटर्स बनने का मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले है, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

एसआइआर : बड़े जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे, सीमावर्ती जिलों में कम

शुद्धीकरण या साइलेंट स्ट्राइक

5 जिलों के 10% वोटर बाहर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. एसआइआर में मतदाताओं के नाम पर सबसे अधिक कैंची जोधपुर और जयपुर सहित पांच जिलों में चली, जहां अलग-अलग कारणों से 10 फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके विपरीत बाड़मेर-जैसलमेर सहित चार जिले ऐसे हैं, जहां पांच फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

जिन जिलों में सबसे अधिक नाम कटे हैं, उनमें जोधपुर-जयपुर जैसे बड़े जिले हैं। उधर, जिलों में नाम कटने का अनुपात कम रहा, उनमें दूरदराज के बाड़मेर-जैसलमेर जिले हैं तो जयपुर और अलवर जिलों से अलग होकर बना कोटपूतली-बहरोड़ जिला भी शामिल है। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाताओं के जिंदा नहीं होने, स्थायी रूप से अन्यत्र पलायन कर जाने या एसआइआर के दौरान तीन बार बूथ लेवल अधिकारी को घर पर नहीं मिलने या मतदाता का दो जगह नाम होने जैसे कारणों से मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसे निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण का नाम दिया है।

सवाल ?

1. अन्यत्र बस जाने का प्रमाण क्या है?
2. कैसे माना गया कि बीएलओ तीन बार घर गया?

अब भी विकल्प है

जिन मतदाताओं का नाम गलती से नाम कट गया है वे अपने दावे-आपत्तियां पेश कर सकते हैं।

ऐसे बनें सजग मतदाता

मतदाता अपने क्षेत्र की सूचियां चेक कर अपना नाम सुनिश्चित कर लें।

10 जिलों में 7 से 8% नाम कटे

सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, बारां, झालावाड़, सलुम्बर व अलवर जिले ऐसे हैं, जहां सात से आठ फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

9 जिलों में 6 से 7% नाम कटे

बीकानेर, भरतपुर, खैरथल- तिजारा, नागौर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर व डीडवाना-कुचामन जिले ऐसे हैं, जहां 6 से 7 फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम कट गए हैं।

7 जिलों में 5 से 6% नाम कटे

जालोर, बालोतरा, चूरू, धौलपुर, फलोदी, डीग, हनुमानगढ़

सर्वाधिक नाम यहां कटे

जिला	नाम कटे	प्रतिशत
जोधपुर	257831	11.20
जयपुर	5,36,276	11.12
कोटा	159788	10.43
अजमेर	152684	10.13
सिरोही	85596	10.03
उदयपुर	195748	9.97
भीलवाड़ा	168197	8.76
पाली	125549	8.30
बांसवाड़ा	117259	8.15
डूंगरपुर	89771	8.14
ब्यावर	71343	8.14

यहां सबसे कम कटे

कोट.-बहरोड़	48532	4.98
करौली	54808	4.80
जैसलमेर	23420	4.75
बाड़मेर	47669	3.96

दावे-आपत्ति पेश करने में कांग्रेस से आगे भाजपा

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के आधार पर जारी प्रारूप मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने व कटवाने के लिए दावे एवं आपत्तियां पेश करने में अभी भाजपा, कांग्रेस से आगे है। नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से 46 दावे पेश किए गए हैं, जिनमें से 35 भाजपा, 9 कांग्रेस और दो भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पेश किए हैं। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक नाम पर आपत्ति जताते हुए दो नामों को हटवाने का आग्रह किया है। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए 2 लाख 19 हजार 674 युवाओं के आवेदन पहले से ही विचाराधीन हैं।

विधायक का आरोप

दौसा @ पत्रिका. एसआइआर प्रक्रिया पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उपचुनाव में केवल दौसा सीट पर बीजेपी हारी थी, ऐसे में सर्वाधिक 20 हजार से अधिक वोट दौसा विधानसभा क्षेत्र से कम किए हैं।

Scanned with CamScanner

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026

17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक 46 दावे एवं 2 आपत्तियां

28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील

पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों को देखना हुआ आसान

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।

श्री महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। श्री महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। तथा 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

नव मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन माध्यम

आवेदक इसीआइ-नेट एप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटर सर्विस सेक्शन में जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प के अंतर्गत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्रभर सकते हैं। इसके अलावा वोटर्स पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से साइनअप कर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन टैब के माध्यम से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरा जा सकता है।

ऑफ्लाइन माध्यम

आवेदक अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों में ऐसे खोजें अपना नाम

पुनर्गठन से पहले भागों की संख्या- 52469

पुनर्गठन के बाद भागों की संख्या- 61404

कुल नए भाग बनाए गए - 8935

मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद, एसआइआर-2026 की प्रारूप मतदाता सूची में सभी मतदाताओं की भाग संख्या और क्रम संख्या बदल गई हैं और ये गणना प्रपत्र में उल्लेखित भाग और क्रम संख्याओं से मेल नहीं खाती हैं। एसआइआर-2026 में नवीनतम भाग संख्या और क्रम संख्या जानने के लिए मतदाता अब अपने इपीक नंबर का उपयोग करते हुए इसीआइ-नेटऐप या वोटर्स सर्विस पोर्टल पर अपने विवरण देख सकते हैं।

Scanned with CamScanner

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 46 दावे एवं 2 आपत्तियां दर्ज

नवज्योति/बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिका नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान https://election.rajasthan.gov.in एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।

महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिए दे दी गई है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर (3 पीएम) से 18 दिसंबर (3 पीएम) तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

ओम एक्सप्रेस

बीकानेर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे। वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा।

वही पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे।

दैनिक भास्कर
बीकानेर ज़िला 19-12-2025

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमः क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए निर्देश

सिटी रिपोर्टर | बीकानेर

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे। वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। वही पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव, उपखंड अधिकारी महिमा कसाना, अतिरिक्त कलेक्टर (नगर) रमेश देव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमः क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

ओम एक्सप्रेस

बीकानेर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे। वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा।

वही पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीकानेर, (निसं)। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे। श्रीमती वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। वही पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी क्लस्टर शिविरों का आयोजन निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार किया जाए। उन्होंने उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव, उपखंड अधिकारी महिमा कसाना, अतिरिक्त कलेक्टर (नगर) रमेश देव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वोटिंग लिस्टों की स्पेशल चैकिंग के लिये आयोजित होगें क्लस्टर कैंप

कामयाब कलम रिपोर्टर।

बीकानेर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे। श्रीमती वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। वही पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे।

तैयारियों के दिये निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी क्लस्टर शिविरों का आयोजन निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार किया जाए। उन्होंने उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव, उपखंड अधिकारी महिमा कसाना, एडीएम सिटी रमेश देव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मतदाताओं के लिए क्लस्टर शिविरों का होगा आयोजन

पत्रिका
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को क्लस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैंपस एंबेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को क्लस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे।

ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए शिविर छह जनवरी को

वृष्णि ने बताया कि इसी क्रम में ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए क्लस्टर कैंप 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। वहीं पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला क्लस्टर कैंप का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर किया जाएगा।

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक-बीडीए/भू.नि./2025-26/[illegible] -: आम नोटिस :- दिनांक - 04.12.2025

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वाके ग्राम उदासर योजना वृन्दावन एन्कलेव के खसरा नं. चक 13-14 बीएसएम में स्थित रिहायशी भूखण्ड संख्या 278 तादादी 1800 वर्गफीट के आवंटी/क्रेता श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री शंकर लाल माथुर का देहान्त होने पर श्रीमती सुषमा माथुर पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ए-702 रत्नाकार हॉल्सऑन जोधपुर गाम मार्ग, प्रेरणा तीर्थी देरासर मार्ग हिन्द सुपर मार्केट के सामने सैटेलाईट अहमदाबाद गुजरात द्वारा न्यास कार्यालय में आवेदन पत्र के

Eligib
Durat
Fees
for more
9414

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैम्प लगेंगे : वृष्णि

बीकानेर,(कासं)। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान मतदाताओं और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

इस संबंध में जिला निर्वाचन

■ **मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं**

बीकानेर क्लेक्टर नम्रता वृष्णि ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया।

अधिकारी नम्रता वृष्णि ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसम्बर को जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को कलस्टर बनाते हुए शिविरों का आयोजन होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के ईएलसी नोडल तथा कार्यकारी समिति कैम्पस एम्बेसडर, एनसीसी और एनएसएस के वालंटियर भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज ईएलसी को कलस्टर बनाते हुए जिले के विशेष विद्यालयों और आवासीय विद्यालय एवं पीडब्लयूडी वोटर्स के लिए कार्यरत सीएसओ, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं में 29 दिसम्बर को शिविर आयोजित किया जायेगा। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भागीदारी निभाएंगे।

कलेक्टर वृष्णि ने बताया कि ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए डेरों, हवेलियों और ट्रांसजेंडर वोटर्स के निवास स्थान पर डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए कलस्टर कैम्प 6 जनवरी को आयोजित किया जायेगा। वहीं पीवीजीटी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए संबंधित एआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर 6 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जेंडर रेशो बढ़ाने के लिए महिला कलस्टर कैम्प का आयोजन 10 जनवरी को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर किया जायेगा। इनमें महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इन शिविरों में सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम विकास अधिकारी, नगर निगम और नगर पालिका के कार्मिक, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कलस्टर शिविरों का आयोजन निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार किया जाए।

नव मतदाताओं के पंजीकरण को लेकर क्लस्टर कैंपों का होगा आयोजन

रायसिंहनगर| विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम सुभाषचंद्र चौधरी ने बताया कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। एसआईआर 2026 के तहत 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी ऐसे नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 22 व 23 दिसंबर को स्कूल एवं महाविद्यालय में क्लस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मतदाताओं को जोड़ने को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

28307 युवाओं ने मतदाता बनने हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन किया

जयपुर/ श्रीगंगानगर, 18 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। श्री महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026

#SriGanganagar

अब तक 46 दावे व 2 आपत्तियां, हैल्पलाइन 1950 पर सम्पर्क

28307 युवाओं ने मतदाता बनने के लिये पंजीकरण आवेदन किया

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है। महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है।

सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए ह्246 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।

नव मतदाता पंजीकरण हेतु अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा सभी योग्य नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण कर अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें।

@DmSriganganagar

मतदाता सूची को लेकर किया जागरूक

प्रेम प्रकाश सैनी/ कंट्री विजन/ सीकर।

विधानसभा निर्वाचन धोद क्षेत्र के बी एल ओ बाबूलाल सैनी द्वारा सार्वजनिक सहकारी समिति पर बैठक कर मतदाता सूची के गहन पुनीरक्षण की सरकार के आदेशानुसार राजनैतिक दलों के लोगों के साथ मीटिंग सार्वजनिक स्थान डेयरी पर आयोजित की। जिसमें फोटो उक्त पहचान पत्र की सूची से वंचित और हटाए गये मतदाताओं के बारे में बताया गया द्य जिसमें वंचित लोगों को जल्द राजकीय उच्च माध्यमिक मालियों की ढाणी, हर्ष बी एल ओ को अपनी पहचान के कागजात के साथ मिलकर नाम जुड़वा सकते है द्य

दैनिक भास्कर

चित्तौड़गढ़ भास्कर 19-12-2025

भास्कर एक्सक्लूसिव अपमैप्ड को नोटिस, प्रदेश में ऐसे सबसे कम वोटर 145 निंबाहेड़ा विस में

4072 वोटर्स को देना होगा पहचान का सबूत मैपिंग में प्रदेश की टॉप 3 विस चित्तौड़गढ़ की

भास्कर न्यूज़ | चित्तौड़गढ़

एसआईआर-2026 का ड्राफ्ट रोल जारी होने के साथ ही नोटिस, दावा-आपत्तियों का दूसरा चरण चल पड़ा है। प्रदेशभर में सभी विस ईआरओ अब अनमैप्ड रहे मतदाताओं को नोटिस व उनसे अपनी नागरिकता पहचान का सबूत लेने का काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि जिले में ऐसे वोटर्स 4072(0.32%) ही है। खास बात यह कि मैपिंग में जिले की 5 में से 3 विस प्रदेश के टॉप तीनों नंबर पर काबिज है। एक विस सातवें नंबर पर है।

गणना दौर समाप्ति से एक दिन पूर्व 10 दिसंबर की चुनाव आयोग की रिपोर्ट में मैपिंग की जिलावार स्थिति में सलूंबर के बाद चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पर बना रहा। जहां सलूंबर के मुकाबले चार गुना से अधिक मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन द्वारा दो दिन पूर्व जारी ड्राफ्ट रोल में शामिल जिले के 13 लाख 1875 मतदाताओं में से 1297803 यानी 99.68 वोटर्स की मैपिंग हो गई है। सिर्फ 4072 वोटर्स की 2002 से मैपिंग नहीं हो सकी। ये लोग चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी अनुसार निर्धारित दस्तावेज पेश कर पात्रता साबित करेंगे तो अंतिम प्रकाशन में इनके नाम भी जुड़ जाएंगे।इनको संबंधित ईआरओ द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। इनमें भारत में जन्म की तीन श्रेणियां क्रमशः 1 जनवरी 1987 से पूर्व, 1 जनवरी 1987 से 2 दिसंबर 2014 के बीच और 2 दिसंबर 2014 के बाद भारत में जन्म की है। यदि जन्म भारत के बाहर हुआ तो विदेश में भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म रजिस्ट्रेशन का सबूत और यदि भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रीकरण द्वारा अर्जित की गई तो इसका प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। राजस्थान में सबसे कम 145 मतदाता निम्बाहेड़ा में है, जो अनमैप रह गए। जिले में ऐसे सर्वाधिक 2507 मतदाता बेगूं विस में है। इसी कारण मैपिंग में बेगूं प्रदेश में 75 वें नंबर पर खिसक गई। वर्ना हमारी बाकी 4 विस टॉप-10 में है।

विसवार मैपिंग ओर अनमैपिंग की स्थिति

विधान सभा	अनमैप्ड	मैपिंग	प्रदेश में नंबर
कपासन	344	253859	2
बेगूं विस	2507	270414	75
चित्तौड़गढ़	609	243582	7
निंबाहेड़ा	145	260483	1
बड़ीसादड़ी	467	269465	3
जिले में कुल	4072	1297803	2

54% वोटर्स की मैपिंग उनके माता-पिता से की, 46% की खुद से हो गई, क्योंकि वे 2002 की सूची में थे

एसआईआर-2026 की प्रक्रिया से यह तथ्य भी सामने आया कि जिले के वर्तमान कुल मतदाता 13 लाख 1875 में से 5 लाख 96 हजार 531 यानी करीब 46 % वोटर 2002 की सूची में भी शामिल थे। इसलिए वे खुद से ही मैप हो गए। जबकि7 लाख 1272 यानी 54 % मतदाताओं के नाम आखिरी एसआईआर 2002 की सूची में नहीं थे। ऐसे में संबंधित बीएलओ ने2002 की सूची में उनके माता पिता का नाम देखकर यानी वंशानुगत आधार पर मैप किया। चित्तौड़गढ़ विस में इस श्रेणी के मतदाता 56 % से अधिक थे। कपासन में लगभग आधे-आधे मतदाता दोनों तरह के थे।

शहर भाजपा : एसआइआर के दूसरे चरण में कोई मतदाता छूटे नहीं, अपात्र जुडे नहीं

उदयपुर. एसआइआर अभियान को दूसरे चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पटेल सर्कल पर बैठक हुई। जिला संयोजक करणसिंह शक्तावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण विधानसभा के छह मंडलों के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला महामंत्री पंकज बोराणा स्वागत भाषण दिया। जिला महामंत्री पारस सिंघवी ने कहा कि इसी मतदाता सूची से नगर निगम व पंचायत राज की सूचियां बनेंगी, इसलिए कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। संयोजक शक्तावत ने कहा कि ग्रामीण विधानसभा में 41 हजार से अधिक नाम विभिन्न कारणों से कटे हैं। नव मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। विधायक फूलसिंह मीणा ने मंडल अध्यक्षों से ड्राफ्ट सूची के अवलोकन और 18 वर्ष के युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा हुई।

Scanned with OKEN Scanner

एसआइआर : बड़े जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे, सीमावर्ती जिलों में कम

शुद्धीकरण या साइलेंट स्ट्राइक

5 जिलों के 10% वोटर बाहर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. एसआइआर में मतदाताओं के नाम पर सबसे अधिक कैंची जोधपुर और जयपुर सहित पांच जिलों में चली, जहां अलग-अलग कारणों से 10 फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके विपरीत बाड़मेर-जैसलमेर सहित चार जिले ऐसे हैं, जहां पांच फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

जिन जिलों में सबसे अधिक नाम कटे हैं, उनमें जोधपुर-जयपुर जैसे बड़े जिले हैं। उधर, जिलों में नाम कटने का अनुपात कम रहा, उनमें दूरदराज के बाड़मेर-जैसलमेर जिले हैं तो जयपुर और अलवर जिलों से अलग होकर बना कोटपूतली-बहरोड़ जिला भी शामिल है। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाताओं के जिंदा नहीं होने, स्थायी रूप से अन्यत्र पलायन कर जाने या एसआइआर के दौरान तीन बार बूथ लेवल अधिकारी को घर पर नहीं मिलने या मतदाता का दो जगह नाम होने जैसे कारणों से मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसे निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण का नाम दिया है।

सवाल ?

1. अन्यत्र बस जाने का प्रमाण क्या है?

2. कैसे माना गया कि बीएलओ तीन बार घर गया?

अब भी विकल्प है

जिन मतदाताओं का नाम गलती से नाम कट गया है वे अपने दावे-आपत्तियां पेश कर सकते हैं।

ऐसे बनें सजग मतदाता

मतदाता अपने क्षेत्र की सूचियां चेक कर अपना नाम सुनिश्चित कर लें।

10 जिलों में 7 से 8% नाम कटे

सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, बारां, झालावाड़, सलूम्बर व अलवर जिले ऐसे हैं, जहां सात से आठ फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

9 जिलों में 6 से 7% नाम कटे

बीकानेर, भरतपुर, खैरथल- तिजारा, नागौर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर व डीडवाना-कुचामन जिले ऐसे हैं, जहां 6 से 7 फीसदी के बीच मतदाताओं के नाम कट गए हैं।

7 जिलों में 5 से 6% नाम कटे

जालोर, बालोतरा, चूरू, धौलपुर, फलोदी, डीग, हनुमानगढ़

सर्वाधिक नाम यहां कटे

जिला	नाम कटे	प्रतिशत
जोधपुर	257831	11.20
जयपुर	5,36,276	11.12
कोटा	159788	10.43
अजमेर	152684	10.13
सिरोही	85596	10.03
उदयपुर	195748	9.97
भीलवाड़ा	168197	8.76
पाली	125549	8.30
बांसवाड़ा	117259	8.15
डूंगरपुर	89771	8.14
ब्यावर	71343	8.14

यहां सबसे कम कटे

कोट.-बहरोड़	48532	4.98
करौली	54808	4.80
जैसलमेर	23420	4.75
बाड़मेर	47669	3.96

दावे-आपत्ति पेश करने में कांग्रेस से आगे भाजपा

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के आधार पर जारी प्रारूप मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने व कटवाने के लिए दावे एवं आपत्तियां पेश करने में अभी भाजपा, कांग्रेस से आगे है। नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से 46 दावे पेश किए गए हैं, जिनमें से 35 भाजपा, 9 कांग्रेस और दो भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पेश किए हैं। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक नाम पर आपत्ति जताते हुए दो नामों को हटवाने का आग्रह किया है। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए 2 लाख 19 हजार 674 युवाओं के आवेदन पहले से ही विचाराधीन हैं।

विधायक का आरोप

दौसा @ पत्रिका. एसआइआर प्रक्रिया पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उपचुनाव में केवल दौसा सीट पर बीजेपी हारी थी, ऐसे में सर्वाधिक 20 हजार से अधिक वोट दौसा विधानसभा क्षेत्र से कम किए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

udaipur express

ग्रामीण विधानसभा के दूसरे चरण के एसआईआर की बैठक सम्पन्न

उदयपुर (कासं)। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के ग्रामीण विधानसभा के छः मंडलों प.दीनदयाल उपाध्याय मण्डल,सरदार पटेल मण्डल, जावर माता मण्डल, भुवाणा मण्डल, झामेश्वर मण्डल, नांदेश्वर मण्डल के मण्डल अध्यक्ष, मण्डल महामंत्री,शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष तथा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के दूसरे चरण के नव मतदाता को जोड़ने हेतु जिला संयोजक स्ढ्रक्रव जिला उपाध्यक्ष करणसिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पटेल सर्कल पर बैठक रखी गई। बैठक के प्रारंभ में जिला महामंत्री पंकज बोराणा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया तथा नव मतदाताओं को जोड़ने की जानकारी दी। जिला महामंत्री पारस सिंघवी ने कहा कि यह जो मतदाता सूची बन रही है इसी से नगर निगम व पंचायत राज की मतदाता सूची बनेगी इसलिए कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं ओर अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़े। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जिला संयोजक व जिला उपाध्यक्ष करणसिंह शक्तावत ने बताया कि अभी ग्रामीण विधानसभा में करीब 41 हजार 300 से अधिक नाम कटे है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि आज विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट मतदाता सूची मण्डल अध्यक्षों को उपलब्ध करवाई है इसका अवलोकन करे तथा किसी पात्र मतदाता का नाम रह गया है तो उसे जुड़वाया जाए। बैठक की सम्पूर्ण जानकारी तथा संचालन जिला महामंत्री देवीलाल सालवी द्वारा किया गया तथा धन्यवाद भुवाणा मण्डल अध्यक्ष मुकेश जोशी द्वारा ज्ञापित किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ सीमा चंपावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान बैठक में जिला उपाध्यक्ष तख्त सिंह शक्तावत, प्रवक्ता भंवरसिंह देवड़ा, मण्डल संयोजक व पूर्व पार्षद आशीष कोठारी सहित शक्तिकेंद्र संयोजक व बूथ अध्यक्ष उपस्थित थे।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण विधानसभा के दूसरे चरण के एसआईआर की बैठक सम्पन्न

उदयपुर (पुकार)। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिले की ग्रामीण विधानसभा के पं. दीनदयाल उपाध्याय मण्डल, सरदार पटेल मण्डल, जावर माता मण्डल, भुवाणा मण्डल, झामेश्वर मण्डल, और नांदेश्वर मण्डल के मण्डल अध्यक्षों, महामंत्रियों, शक्ति केंद्र संयोजकों, बूथ अध्यक्षों तथा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पार्टी कार्यालय पटेल सर्कल पर दोपहर 2 बजे जिला संयोजक एसआईआर और जिला उपाध्यक्ष करण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में जिला महामंत्री पंकज बोराणा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और नव मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

जिला महामंत्री पारस सिंघवी ने कहा कि यह मतदाता सूची नगर निगम और पंचायत राज के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलती से बचने की आवश्यकता है। यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में जुड़ जाए, तो उसकी आपत्ति दर्ज कर उसे हटवाया जाए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष करण सिंह शक्तावत ने बैठक में बताया कि वर्तमान में ग्रामीण विधानसभा में लगभग 41,300 नाम काटे गए हैं। इनमें मृतक, स्थानांतरित होने वाले लोग और दो जगह नाम पंजीकृत होने वाले लोग शामिल हैं। अब सभी बूथों पर नव मतदाताओं को जोड़ने का कार्य 15 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। इसके साथ ही, सरकार की सफल योजनाओं की जानकारी देने हेतु 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस तक विकास रथ भी सभी विधानसभाओं में भ्रमण करेगा।

उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक फूलसिंह मीणा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची मण्डल अध्यक्षों को प्रदान की गई है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो, तो उसे जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। विधायक ने यह भी बताया कि विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में 268 बूथ थे, जो अब बढ़कर 322 हो गए हैं। सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट-2 बना कर तैयार करने की आवश्यकता है।

बैठक के अंत में भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी चंचल अग्रवाल के माता जी, अम्बेडकर मण्डल के मण्डल उपाध्यक्ष शंकर चौहान के पिता जी तथा राणा प्रताप मण्डल के कार्यकर्ता श्याम सुंदर महात्मे के माता जी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक का संचालन जिला महामंत्री देवीलाल सालवी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन भुवाणा मण्डल अध्यक्ष मुकेश जोशी ने किया। इस बैठक में भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. सीमा चम्पावत, जिला उपाध्यक्ष तख्त सिंह शक्तावत, प्रवक्ता भंवर सिंह देवड़ा, एसआईआर मण्डल संयोजक आशीष कोठारी, मण्डल अध्यक्ष मोहन मीणा, अमृत मेनारिया, मुकेश जोशी, और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रातःकाल
Udaipur City Edition | 2025-12-19 | Page- 5
epaper.pratahkal.com

ग्रामीण विधानसभा के दूसरे चरण के एसआईआर की बैठक सम्पन्न

उदयपुर (वि.)। भाजपा शहर जिला के ग्रामीण विधानसभा के छः मंडलों प.दीनदयाल उपाध्याय मण्डल, सरदार पटेल मण्डल, जावर माता मण्डल, भुवाणा मण्डल,झामेश्वर मण्डल,नांदेश्वर मण्डल के मण्डल अध्यक्ष,मण्डल महामंत्री,शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष तथा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के दूसरे चरण के नव मतदाता को जोड़ने हेतु जिला संयोजक एसआईआर व जिला उपाध्यक्ष करणसिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में जिला महामंत्री पंकज बोराणा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया तथा नव

मतदाताओं को जोड़ने की जानकारी दी। जिला महामंत्री पारस सिंघवी ने कहां की यह जो मतदाता सूची बन रही है इसी से नगर निगम व पंचायत राज की मतदाता सूची बनेगी इसलिए कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं ओर अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़े नहीं अगर किसी गलत व्यक्ति का नाम जुड़ गया है तो उसकी आपत्ति दर्ज करवा कर हटवाए। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट मतदाता सूची मण्डल अध्यक्षों को उपलब्ध करवाई है इसका अवलोकन करे तथा किसी पात्र मतदाता का नाम रह गया है तो उसे जुड़वाया जाए। आने वाले समय में पंचायत राज व नगर निकाय के चुनाव है तो कई नए जन प्रतिनिधि बनेंगे ऐसे सभी लोग अभी से 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास करे।

Powered by Bharati Web

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक भास्कर 19.12.2025

मतदाता सूची ड्राफ्ट को लेकर बैठक हुई

तारानगर | विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 तथा एएसडी मतदाताओं से संबंधित सूचनाओं को लेकर एसडीएम राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक-एक पैन ड्राइव उपलब्ध करवाई गई, जिसमें एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 व एएसडी मतदाताओं से संबंधित जानकारी शामिल थी, ताकि सभी दलों द्वारा मतदाता सूचियों का सूक्ष्म परीक्षण कर आवश्यक सुझाव व आपत्तियां समयबद्ध रूप से प्रस्तुत की जा सके। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की पारदर्शिता, शुद्धता व व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस मौके पर नायब तहसीलदार बजरंगसिंह, एसआईआर प्रभारी भागचंद किरोड़ीवाल, कनिष्ठ सहायक राजेश कुमार, मनोज कुमार आदि भी उपस्थित थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी जिलों में मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन वर्तमान में राज्य भर में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत ''कोई भी पात्र मतदाता न छूटे'' की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर जोर देते हुये समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है। दावों एवं आपत्तियों के चरण के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत -प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाना है।

नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंप लगेंगे

डूंगरपुर। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण में दावों व आपत्तियों के चरण 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है। दावों व आपत्तियों में मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा व महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से एसआईआर 2026 के लिए निर्धारित अर्हता 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाना है। समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका, बीएलओ, सुपरवाइजर नियुक्त है।

पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी जिलों में मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन वर्तमान में राज्यभर में प्रकियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत ''कोई भी पात्र मतदाता न छुटें'' की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गो एवं समाज की मुलधारा में जुड़ने से शेष वर्गो पर जोर देते हुये समाजवेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर से 15 जनवरी के मध्य निर्धारित है। दावों एवं आपत्तियों के चरण के अन्तर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यतियों का मतदाता सूची में शत -प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैपों का आयोजन किया जाना है। समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर सुपरवाईजर, आगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका, बीएलओ, सुपरवाईजर नियुक्त है।

दैनिक नवज्योति
Banswara-Dungarpur - 1

नव मतदाता पंजीकरण पर क्लस्टर कैम्प 15 जनवरी तक

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी जिलों में मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन वर्तमान में राज्य भर में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत "कोई भी पात्र मतदाता न छूटे" की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर जोर देते हुए समाजवेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है। दावों एवं आपत्तियों के चरण के अन्तर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाना है। समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका, बीएलओ, सुपरवाईजर नियुक्त हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार क्लस्टर कैंप का आयोजन करा कर फोटो एवं वीडियो विभागीय ई-मेल पर भेजेंगे।

दैनिक नवज्योति
Banswara-Dungarpur - 19 Dec 2025 - Page 7

नव मतदाता पंजीकरण पर क्लस्टर कैम्प 15 जनवरी तक

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी जिलों में मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन वर्तमान में राज्य भर में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत "कोई भी पात्र मतदाता न छूटे" की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गो एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर जोर देते हुए समाजवेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है। दावों एवं आपत्तियों के चरण के अन्तर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैपों का आयोजन किया जाना है। समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका, बीएलओ, सुपरवाईजर नियुक्त हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार क्लस्टर कैंप का आयोजन करा कर फोटो एवं वीडियो विभागीय ई-मेल पर भेजेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी जिलों में मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैम्प का आयोजन वर्तमान में राज्यभर में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत ''कोई भी पात्र मतदाता न छूटे'' की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मुलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर जोर देते हुये समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। राज्य में वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है।

दावों एवं आपत्तियों के चरण के अन्तर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत -प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए क्लस्टर कैंपों का आयोजन किया जाना है। समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर सुपरवाईजर, आगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका, बीएलओ, सुपरवाईजर नियुक्त है।

नवमतदाता पंजीकरण के लिए होगा क्लस्टर शिविर

डूंगरपुर @ पत्रिका. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए एवं वंचित मतदाता पंजीकरण के लिए क्लस्टर शिविर होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकितकुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर-2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर शविर हो रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों एवं आपत्तियों के चरण 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 के मध्य निर्धारित है। दावों एवं आपत्तियों के चरण के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 प्लस आयु के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन व्यातियों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जा रहा है।